(230)

मध्य प्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

...

क्रमांक 508/323/49/3/89 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 1989

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश .

विषय:- शासकीय सेवकों को सेवा से हटाये जाने के पश्चात उनकी पुनः नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 2103/1087/183 दिनांक 2.11.70

...

विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए थे कि " जब कभी भी किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक आधार पर शासकीय सेवा से पृथक किया जाता है तो उसकी सूचना पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध एवं रेलवे) मध्यप्रदेश को भेजनी चाहिए जिससे कि उस कर्मचारी का नाम " पुलिस क्रिमिनल इंटलीजेंसगजेट" में छापा जा सके और जिला विशेष शाखा उसे अपने यहां अंकित कर उसे पूर्व इतिहास तथा आचरण के परीक्षण के मौके पर उसका उपयोग कर सकें । इसका परिणाम यह होगा कि जब कभी भी ऐसे शासकीय सेवक को किसी अन्य विभाग में नौकरी देने के पूर्व उसके पूर्व इतिहास आदि की जांच कराई जाएगी तो उस समय नियुक्ति प्राधिकारी को उसके पूर्व में सेवा से हटाये जाने के कारण मालूम हो सकेंगे । यह सूचना पाने के बाद नियुक्ति अधिकारी पूर्व नियुक्ति अधिकारी से पूछताछ आदि कर सकेगा । "शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपर्युक्त निर्देशों का सही ढंग एवं कड़ाई से परिपालन नहीं हो रहा है, अतः संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न करते हुए आपसे निवेदन है कि इसमें उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करायें ।

हस्ता/-

(अ. द. मोहिले)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशि. विभाग.

232

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

...

:: ज्ञा प न ::

क्रमांक 2103/1987 /1§3§ भोपाल, दिनांक 2.11.70

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:- शासकीय सेवकों को सेवा से हटाये जाने के बाद उनकी पुर्ननियुक्ति के लिए प्रक्रिया ।

...

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1876/2480/1§3§ दिनांक 4.9.1959 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के तारतम्य में यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी भी किसी शासकीय सेवक कोअनुशासनात्मक आधार पर नौकरी से निकाला जाताहै, तो उसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक §अपराध एवं रेलवे§ मध्यप्रदेश को भेजनी चाहिए जिससे कि उस कर्मचारी का नाम "पुलिस क्रिमनल इंटलीजेंस गजेट" में छापा जा सकें और जिला विशेष शाखा उसे अपने यहां अंकित कर उसके पूर्व इतीहास तथाआचरण के प्रेक्षण के मौके पर उसका उपयोग कर सकें । इसका परिणाम यह होगा कि जब कभी भी किसी ऐसे शासकीय सेवक को किसी अन्य विभाग में नौकरी देने के पूर्व उसके पूर्व इतिहास आदि की जांच कराई जाएगी तो उस समय नियुक्ति प्राधिकारी को उसके पूर्व में सेवा से हटायेजाने का कारण मालूम हो सकेंगे । यह सूचना पाने के बाद नियुक्ति अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त आदेशानुसार, पूर्व नियुक्ति अधिकारी से पूछताछ कर सकेगा ।

हस्ता/-
§म. श. सिंहदेव §
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग